

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-3299-औस/2015-11(1)ए०एस०/2009(14)

दिनांक १ अगस्त, 2015

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दि० 30.06.2016 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-162-औस-11(1)/2014 दिनांक 14.01.2015 द्वारा दि० 30.06.2015 तक मान्यता प्राप्त 19 अस्पतालों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764-औ०स०/2015 दिनांक 24.07.2015 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। जिनमें से निम्नलिखित 02 अस्पतालों द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने हेतु पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17/पाकालि/02 दि० 09.12.2002 एवं आदेश सं०-3593-औस-17/पाकालि/2012-11(1)/2009 दि० 21.07.2003 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता दिनांक 30.06.2015 के उपरान्त अग्रेतर दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक के लिए एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती हैं :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	मान्यता की अवधि
1.	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेण्टर प्रा०लि०, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2016
2.	शालीमार हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, ए-989, इन्दिरानगर, लखनऊ।	30.06.2016

- 1- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालयों की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- 2- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- 3- चिकित्सालयों द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

संख्या:-3299-(1) औस/पाकालि/2015-तददिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

NGL

.....2.....

- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन)/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 13- सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- प्रबन्धक, सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेण्टर प्रा0लि0, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।
- 15- प्रबन्धक, शालीमार हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, ए-989, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 16- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 17- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 18- कट फाइल

N.A. Mathur
21-8-15

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी